

मा. ५७५ / ३१-५- 2016
28-3-16

संख्या- 410/8-3-16-18 विविध/2016

प्रेषक,

सदा कान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

AD
T. nro
28-3

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समरत विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश;

2. आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—३

लखनऊ : दिनांक: 22 मार्च, 2016

विषय:- विभिन्न निर्माण एजेन्सियों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के सापेक्ष उपकर वसूल किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उ०प्र० भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम—1996 के अन्तर्गत सभी निर्माण कार्यों पर (सभी व्यक्तिगत भवनों को छोड़कर जिनकी कुल लागत रु० 10.00 लाख से अधिक न हो तथा ऐसे सभी निर्माण कार्य, जिनमें निर्माण के दौरान विगत 12 माह में कभी भी 10 एवं उससे अधिक निर्माण श्रमिक न लगे हों) निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर (सेस) देय है। सेस वसूली के लिए सभी शहरी नगरीय निकाय व विकास प्राधिकरणों द्वारा ले—आउट एवं मानचित्र स्वीकृत करते समय उपकर (सेस) की वसूली करके श्रम विभाग के अन्तर्गत संचालित बोर्ड को उपलब्ध कराया जाना है।

2— इस संबंध में सेस नियमावली—1998 के नियम—4(2), 4(5) व 4(6) में निम्न प्राविधान हैः—

4(2)- Notwithstanding the provisions of sub-rule (1), where the duration of the project or construction work exceeds one year, cess shall be paid within thirty days of completion of one year from the date of commencement of work and every year thereafter at the notified rates on the cost of construction incurred during the relevant period.

4(5)- An Employer may pay in advance an amount of cess calculated on the basis of the estimated cost of construction alongwith the notice of commencement of work under section 46 of the main act by a crossed demand draft in favour of the Board and payable at the station in which the Board is located.

Provide that if the duration of the project is likely to exceed one year, the demand draft may be for the amount of cess payable on cost of construction estimated to be incurred during one year from the date of such commencement and further payment of cess due shall be made as per the provisions of sub-rule(2).

4(6)- Advance cess paid under the sub-rules (3), (4) and (5) adjusted in the final assessment made by the Assessing Officer.

3— अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी निर्माण कार्यों पर (सभी व्यक्तिगत भवनों को छोड़कर जिनकी कुल लागत रु० 10.00 लाख से अधिक न हो तथा ऐसे सभी निर्माण कार्य, जिनमें निर्माण के दौरान विगत 12 माह में कभी भी 10 एवं उससे अधिक निर्माण श्रमिक न लगे हों) मानचित्र एवं ले—आउट की

स्वीकृति के समय संबंधित निर्माणकर्ता से यह भी सूचना प्राप्त कर ली जाय कि उसकी परियोजना की अवधि कितनी है और प्रथम वर्ष में लगभग कितना व्यय होगा, जिस परियोजना निर्माण की अवधि एक वर्ष से अधिक है तब उपकर की धनराशि वर्ष समाप्ति के 30 दिन के अन्दर भुगतान की जाय। प्रथम वर्ष की संभावित व्यय की धनराशि का 1 प्रतिशत सेस अग्रिम प्राप्त किया जाय, किन्तु यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि यह धनराशि परियोजना लागत की 10 प्रतिशत पर लगने वाले उपकर (सेस) से कम न हो अर्थात् पूरी परियोजना लागत के 10 प्रतिशत लागत पर सेस मानवित्र/ले-आउट पास करते समय प्राप्त किया जाय।

भवदीय,

सदा कान्त
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(जे०पी० सिंह)
संयुक्त सचिव